न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 67/2022
प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण	बनाम	अप्रार्थीगण/वादीगण
1. गजेन्द्र कुमार वगैरा.		1. नीमा वगैरा.

उपस्थितः-

1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः- 16.01.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर एक पक्षीय डिक्री प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध प्राप्त की है। इससे क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 यह प्रार्थना पत्र मजबूत आधारों पर एक पक्षीय डिक्री व निर्णय को अपास्त करवाकर पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थीगण संख्या 3 को उनके विरूद्ध उपरोक्त वाद की सूचना/सम्मन प्राप्ति कभी नहीं होने से प्रार्थी संख्या 3 को इस वाद की जानकारी नहीं रही। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को इस वाद की सूचना मिलने पर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपने विरूद्ध कर्ज हुए उक्त वाद की पैरवी करने की हिदायत अधिवक्ता को दी तथा उक्त वाद में मजबूत आधारों का जवाब पेश करने हेतु वकालतनामा दे दिया। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को उनके अधिवक्ता द्वारा आश्वस्त किया गया कि वह प्रार्थीगण की तरफ से न्यायालय में अच्छा व मजबूत पक्ष रखेगा। प्रार्थीगण हमेशा इस विश्वास में रहे कि उनके विरूद्ध विचाराधीन उपरोक्त वाद में उनके अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही की जा रही है एवं वक्त गवाह/बयान हमें सूचित किया जायेगा। प्रार्थीगण द्वारा जब भी इस वाद बाबत अपने अधिवक्ता से सूचना मांगी तब हर बार उनके अधिवक्ता द्वारा हमेशा सूचना दी गई कि न्यायालय में प्रार्थीगण पक्ष उनके द्वारा रखा जा रहा है। इसलिए प्रार्थीगण 1 व 2 ने कभी भी न्यायालय से इस वाद की जानकारी नहीं ली। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 को वादीगण द्वारा न तो कभी भी सम्यक तामिल कराई गई एवं न ही समन पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान लिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:05:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 व 2 को किसी कारणवश जब प्रमाणित जमाबंदी की आवश्यकता हुई तब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 48.00 बीघा सरहद मौजा रावरा की जमाबंदी की कॉपी लेने पटवारी हल्का के पास आये तब उन्हे दिनांक 30.01.2022 को प्रथम बार हल्का पटवारी से यह ज्ञात हुआ कि आपके विरूद्ध इस भूमि बाबत आपके विरूद्ध न्यायालय में एक फैसला हुआ है। उसके बाद प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.02.2022 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा न तो उनकी तरफ से वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया एवं न ही उनकी तरफ से वाद की कार्यवाही में कभी भाग ही लिया इसलिए न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर वादीगण के पक्ष में एक पक्षीय डिक्री जारी कर दी है। जबकि वादी इसी विश्वास में रहे कि अधिवक्ता द्वारा उनका पक्ष रखा जा रहा है। प्रार्थीगण के वकील द्वारा प्रार्थीगण की पैरवी सही की जाती तो उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का जवाब रिकॉर्ड पर लेकर तनकी कायम कर प्रार्थीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता था। अधिवक्ता द्वारा की गई गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती जबकि अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण 1 व 2 को उनकी तरफ से वाद में पैरवी न करने का न तो नोटिस दिया गया एवं न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। अधिवक्ता की चूक की वजह से प्रार्थीगण/प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री/निर्णय होने से प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात हुआ है। प्रार्थीगण हकदार है इसलिए न्यायहित में उक्त वाद में पारित एक पक्षीय निर्णय/डिक्री को अपास्त कर वाद को पुनः नम्बर पर लेकर प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता सुनी गयी।

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, निर्णय/डिक्री, जमाबंदी एवं मूल पत्रावली इत्यादि का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:05:57 IST
Reason: SelfAttested

मूल पत्रावली में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या [illegible] और अशोक कुमार की तरफ से दिनांक 14.02.2018 को अ[illegible] ली गई थी और पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी अधिवक्ता द्वारा न तो वकाल[illegible]मा और न ही जवाबदावा पेश किया गया। तदुपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 और 02 के विरूद्ध एक पक्षीय

सहायक कलेक्टर फलोदी (राज.)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कार्यवाही की गई। प्रार्थी संख्या 3 /प्रतिवादी संख्या 3 की सम्यक तामील करवाई गई थी जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 03 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद न तो वे स्वंय उपस्थित आये और न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये। न्यायालय के विनम्र अभिमत हस्तगत प्रकरण में समन की सम्यक रूप से तामील करवाई है एवं प्रार्थीगण मूल वाद में प्रतिवादीगण को पर्याप्त समय दिया गया था अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रकिया संहिता अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रकिया संहिता भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:05:57 IST
Reason: SelfAttested